



॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

E-Mail:- dfo_badrnath_uta@yahoo.co.in Phone No :- 01372-252175

पत्रांक: 549

/ 12-1

दिनांक, गोपेश्वर, 03 अगस्त /2024

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.957 है० वन भूमि में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 5 वर्ष व्यतीत होने के कारण विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि के मांग पत्र के सम्बन्ध में।

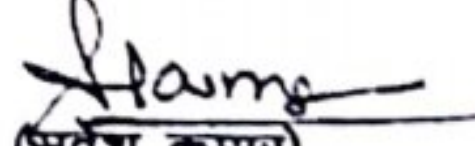
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अवगत कराना है कि जनपद चमोली के अन्तर्गत विकासखण्ड घाट में ग्वाला से भेरणी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.957 है० वन भूमि में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुए 5 वर्ष व्यतीत होने के कारण विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण एन०पी०वी० की संशोधित दरों के अनुसार निर्धारण कर अतिरिक्त धनराशि के मांग पत्र निम्नानुसार प्रेषित है:-

ईको क्लास	क्षेत्रफल (है० में)	Stage-1 दिनांक	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किये गये एन०पी०वी० धनराशि का विवरण			वर्तमान में निर्धारित नई दरोंनुसार एन०पी०वी० धनराशि का आंकलन			जमा किय जाने वाली अवशेष एन०पी०वी० की धनराशि (रु० में)
			औसत	दर प्रति है०	धनराशि रु० में	औसत धनत्व	दर प्रति है०	धनराशि (रु० में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	4.957	24-11-2017	0.2	657000.00	3256749.00	0.2	1005210	4982825.97	1726077.00

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त धनराशि को सत्यापन कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे ताकि प्रयोक्ता एजेन्सी को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करने हेतु लिखा जा जा सके।

भवदीय,


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

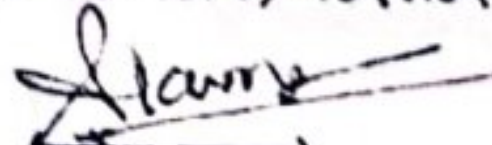
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक 549

/ 12-1

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उनके पत्र सं० 1374/10एल०ए दिनांक 22.07.2024 के क्रम सूचनार्थ प्रेषित।


(सर्वेश कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,

बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

010

